राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प. 10(7)नविवि/3/2009पार्ट--II

जयपुर, दिनांक :- 25 FEB 2013

आदेश

यदि भूखण्ड आवंटन के समय प्रचलित भवन विनियमों के प्रावधान वर्तमान में लागू भवन विनियमों से भिन्न है तथा आवंटी द्वारा पूर्व के विनियमों के आधार पर भवन मानचित्र अनुमोदित कराया गया है तथा तदअनुसार निर्माण किया हुआ है और अब भवन का विस्तार तत्समय प्रचलित भवन विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप कराना चाहता है तो ''तत्समय प्रचलित नियमों की अनुपालना सुनिश्चित किये जाने पर भवन मानचित्र अनुज्ञेय किये जा सकते हैं। भवन के विस्तार में यदि पूर्व में देय एफ.ए.आर. /ऊंचाई से अधिक प्रस्तावित है तो आरक्षित दर का 25 प्रतिशत अथवा 100 रूपयें प्रति वर्गफिट जो भी अधिक हो की दर से बैटरमेन्ट लेवी देय होगी। ऐसी स्थिति में बैटरमेन्ट लेवी जमा कराने पर अधिकतम एफ.ए.आर. वर्तमान नियमों में अनुज्ञेय एफ.ए. आर. से अधिक नहीं होगा।''

Sd/-

(गुरदयाल सिंह संधु)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर/अजमेर/भरतपुर/भिवाडी/भीलवाडा/बीकानेर/आबू जिला सिरोही/कोटा/उदयपुर/श्रीगंगानगर/जैसलमेर।
9. गार्ड फाईल।

Sd/- 22/2/2013

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय